न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 17 / 2017

श्रीमति संतोषकंवर पत्नी श्री बलवीर सिंह जाति राजपूत, निवासी प्लॉट संख्या 5 महावीर वर्धमान धर्मकांटा, कमानी रोड़, झोटवाड़ा जयपुर जरिये अधिकृत (सामान्य अधिकार पत्र) श्री अर्जुन सिंह नरूका पुत्र श्री बलवीर सिंह नरूका, जाति राजपूत, निवासी प्लॉट संख्या 5 महावीर वर्धमान धर्मकांटा, कमानी रोड़, झोटवाड़ा जयपुर

.....*प्रार्थिया*

बनाम

1. श्रीमति द्रोपदी पत्नी श्री धर्मेन्द्र, जाति जाट, निवासी ग्राम उगाई, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी जिला अजमेर।

.....*अप्रार्थीगण*

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– 1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील प्रार्थिया की ओर से।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–15.03.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 11.01.2013 को ग्राम पंचायत मुख्यालय सरसड़ी में आयोजित ''प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013'' में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा श्रीमति द्रोपदी पत्नी श्री धर्मेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम उगाई, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम उगाई के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1084 कुल रकबा 1.37 में से 0.80 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए आवंटन निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किए

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

गये। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए। वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब नोटिस पेश करने से इंकार करने पर पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1084 रकबा 1.37 हैक्टर का राजस्थान सरकार के खनिज विभाग द्वारा अन्य खसरा नंबरान के साथ ही वास्ते खनन आरक्षित कर खनन पट्टा संख्या एम0एल0 49/02 वास्ते खनन क्वार्टज एण्ड माईका क्षेत्र 4.175 हैक्टर का 30 वर्ष की अवधि बाबत जारी किया गया है। उक्त पट्टे का पंजीयन दिनांक 11.04.2011 को किया गया। उक्त आराजी पर प्रार्थिया लगातार काबिज होकर खनन कार्य कर रही है। वकील प्रार्थिया ने आगे कथन किया कि दिनांक 11.01.2013 को कैम्प सरसड़ी में आयोजित "प्रशासन गांवों के संग अभियान–2013" में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मौके की भौतिक स्थिति की जांच किये बिना विधि विरूद्ध रूप से बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन कर दिया जबकि मौके पर आवंटन बाबत खसरा एवं रकबा उपलब्ध नहीं था, साथ ही अप्रार्थिया भूमिहीन काश्तकार नहीं होने के कारण भूमि आवंटन की पात्र भी नहीं थी। वकील प्रार्थिया का यह भी कथन है कि हल्का पटवारी द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र पर कांट छांट कर रिपोर्ट अंकित की तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा आवंटन नहीं किये जाने की सिफारिश किये जाने के बावजूद तहसीलदार केकड़ी द्वारा विवादित भूमि के आवंटन किये जाने की अनुशंषा की गई, जबकि उपरोक्त समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारी का दायित्व था कि प्रार्थिया के पक्ष में खनन बाबत आरक्षित आराजी का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में विधिनुसार किया जाता। राजस्व एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं कर विवादित भूमि के आवंटन में अपनी सहभागिता अदा कर कानून की परिधी के बाहर जाकर आवंटन बाबत कार्यवाही अमल में लाई गई जबकि आवंटी का विवादित आराजियात पर न तो कभी कब्जा काश्त रहा न ही उनके द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गई तथा मात्र भू–माफिया द्वारा भूमि हड़प करने की गरज से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर राजस्व रेकॉर्ड में विवादित भूमि के आवंटन का इन्द्राज करवा लिया गया जबकि मौके पर प्रार्थिया काबिज है तथा विवादित भूमि पर खनन कार्य निर्बाध रूप से जारी है। वकील प्रार्थिया ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि तहसीलदार केकड़ी द्वारा अप्रार्थिया के पक्ष में आवंटित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 582 दिनांक 27.08.2013 को बिना आराजी की मौके पर जांच किये स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार केकड़ी का उक्त कृत्य प्रार्थिया को हैरान व परेशान करने के साथ ही प्रार्थिया के पक्ष में खनन कार्य हेतु आरक्षित भूमि को अपने पद का दुरूपयोग कर अप्रार्थिया को अवांछित लाभ प्रदान करने बाबत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी न्यायिक दृष्टांत पारित किया गया है कि "सारहीन व निराधार प्रकरणों को न्यायालय द्वारा प्रथम स्टेज पर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

ही समाप्त कर देना चाहिये।'' किसी भी प्रकरण में अभिवचन व मौखिक साक्ष्य के आधार पर हक व अधिकार तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अनुसार अभिवचनों व कथनों का सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो अभिवचन लेकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहा हो। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0बी0जे0 499 पेज 426 व आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1228 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि का आवंटन प्रार्थिया के हक व अधिकारों के विपरीत होने के साथ ही दस्तावेज के बाहर जाकर परित किया गया है। उन्होने आगे कथन किया कि अप्रार्थिया विवादित भूमि के आवंटन की आड़ में प्रार्थिया को हैरान व परेशान कर विवादित भूमि से महरूम करने पर आमादा है। अन्त में उन्होने कथन किया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थिया के पक्ष में होने के बावजूद अप्रार्थिया द्वारा तथ्यों को छिपाकर विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकर कर अप्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 11.01.2013 को किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

वकील प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थिया संख्या 1 का कथन है कि प्रार्थिया के समस्त कथन झूठे एवं मनगढंत है। अप्रार्थिया के पक्ष में नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर पूर्ण जांच पश्चात विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थिया का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि पर उनके द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है जबकि वरवक्त आवंटन भूमि रिक्त थी तथा नियमानुसार मौके पर आवंटित भूमि का उन्हे कब्जा सुपुर्द कर गैर खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। वकील अप्रार्थिया ने आगे कथन किया कि प्रार्थिया का यह कथन भी गलत है कि अप्रार्थिया भूमिहीन कृषक नहीं है जबकि राजस्व रेकॉर्ड में उनके नाम कोई कृषि भूमि अंकित नहीं है। नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल मात्र ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो छल कपटपूर्वक तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो। प्रस्तुत प्रकरण में न तो ऐसे कोई तथ्य उजागर हुए है तथा न ही प्रार्थिया द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती हो। उन्होने अन्त में कथन किया कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अप्रार्थिया के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया के पक्ष में विवादित भूमि खसरा संख्या 1084 रकबा 1.37 हैक्टर का खनिज विभाग द्वारा अन्य खसरा नंबरान के साथ ही वास्ते खनन आरक्षित कर खनन पट्टा संख्या एम0एल0 49/02 वास्ते खनन क्वार्टज एण्ड माईका क्षेत्र 4.175 हैक्टर का 30 वर्ष की अवधि के लिये जारी किया गया एवं पट्टे का पंजीयन दिनांक 11.04.2011 को किया जा चुका है तथा प्रार्थिया द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित आराजी की मौके की जांच व भौतिक स्थिति देखे

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

बिना केवल मात्र उपलब्ध राजस्व अभिलेख के आधार पर ही दिनांक 11.01.2013 को कैम्प सरसड़ी में आयोजित ''प्रशासन गांवों के संग अभियान–2013'' में अप्रार्थिया संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन कर दिया गया जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा श्रीमति द्रोपदी पत्नी श्री धर्मेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम उगाई, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर के पक्ष में दिनांक 11.01.2013 को ग्राम उगाई के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1084 में से रकबा 0.80 हैक्टर भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 15.03.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner